

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 43/2018

RCMS Case No. 2018/00067

प्रार्थी :-
सरकार जरिये तहसीलदार
रायपुर

बनाम

अप्रार्थी:-

आवंटी बालू पुत्र कालू के का०मु
1. श्रीमति धापू पत्नी रामलाल
2. गोरधन पुत्र मगा
3. मिश्रु पुत्र मगा
4. केसु पुत्र मगा जातिगण माली निवासी
कपूरडी तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण उपस्थित

--: आदेश :-

दिनांक 7/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कपूरडी पटवार मण्डल रायपुर II तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2080/5 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै०मु० बाडा की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थीगण के पूर्वज को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1029 के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै०मु० रास्ता थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम रायपुर II के नामान्तरकरण संख्या 1029 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि तहसीलदार रायपुर अप्रार्थी के हक में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रुपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रायपुर ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कपूरडी पटवार मण्डल रायपुर II तहसील रायपुर के हाल खसरा नम्बर 2080/5 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै०मु० बाडा की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2080 गै०मु० रास्ता है। उक्त भूमि तहसीलदार रायपुर द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 1029 के जरिये अप्रार्थी के पूर्वज का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2080 की किस्म गै०मु० रास्ता थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत रास्ता आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा कॉमन लैण्ड की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन नियमों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. रास्ता दर्ज की जानी हैं। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार रायपुर के आदेश दिनांक 04.07.1975 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम रायपुर II तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1029 को निरस्त करावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली